प्रेस नोट 11/01/2023

<u>02 शाातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 04 विद्युत मोटर, एक डीजल इंजन व अन्य सामान, नाजायज चाकू व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल बरामद–</u>

आज दिनांक 11.01.2023 को थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/23 धारा 457,380 भादवि से सम्बन्धित वादी की सूचना पर बनाफा के पास तराईडीह को जाने वाली नहर के पास से खड़ा एक मोटरसाईकिल (अपाची यूपी54एक्स7652) सवार पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया तो मौजूद पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ में अपना नाम **विपुल कुमार पुत्र उदयभान निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी मऊ** बताया गया तथा तलाशी के दौरान उक्त कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ में बताया गया कि एक दिन पहले की रात मैं अपने साथी **सोनू गुप्ता पुत्र अमीरचंद निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी** के साथ मिलकर तराईडीह में महेन्द्र नाथ राय के ट्यूबेल का ताला तोड़कर एक विद्युत मोटर, रामभवन के खेत से एक विद्युत मोटर चोरी किये थे जिसमें से एक मेरे पास है तथा दूसरी सोनू गुप्ता के घर पर रखी है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि हम दोनों थाना मधुबन के करौंदी नरायनपुर के सिवान से एक डीजल इंजन, 02 विद्युत मोटर, एक टुल्लू चोरी किये थे। तत्पश्चात उक्त की निशानदेही पर उक्त सोनू गुप्ता को पकड़कर उसके घर से उक्त **04 विद्युत मोटर, एक डीजल इंजन, एक टुल्लू, एक पंखी, हैंडपंप सेट** आदि बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध अर्न्तत धारा 411,413,414 भादवि व 4/25 आयुद्ध अधि0 के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।